

## प्रेस विज्ञापित

दिनांक 07.10.2020

गैंगस्टर में वांछित 25,000-25,000 रुपये के 03 पुरस्कार घोषित अपराधी योगेश, टिकू व चन्द्रशेखर उर्फ मूला अवैध

असलहा मय कारतूस सहित थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद श्री दीक्षित कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 06.10.2020 की रात्रि में थाना सिकन्द्राबाद पर नियुक्त व0उ0नि0 श्योपाल सिंह व उ0नि0 परवेज चौधरी मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना सिकन्द्राबाद से गैंगस्टर में वांछित 25,000-25,000 रुपये के तीन पुरस्कार घोषित अपराधी भागखेडा से जेवर रोड़ की तरफ आ रहे है। इस सूचना पर थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ककोड़ से सिकन्द्राबाद जाने वाली रोड़ के पास स्थित भागखेड गेट के पास पहुँचकर अभियुक्तों के आने का इन्तजार करने लगे कुछ देर बाद भागखेडा की तरफ से तीनों अभियुक्त योगेश, टिकू व चन्द्रशेखर उर्फ मूला आते दिखाई दिये जिनको घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर रात्रि समय करीब 21.00 बजे अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- योगेश पुत्र वीरेन्द्र निवासी महेपा जहांगीर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 2- टिकू पुत्र सक्कन निवासी उपरोक्त।
- 3- चन्द्रशेखर उर्फ मूला पुत्र जगदीश निवासी उपरोक्त।

### बरामदगी-

- 1- 03 तमंचे 315 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगण योगेश, टिकू व चन्द्रशेखर उर्फ मूला शातिर किस्म के अपराधी है तथा जिनके द्वारा संगठित गैंग बनाकर शराब तस्करी आदि घटनाएं कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-683/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया था। इस अभियोग में तीनों अभियुक्त योगेश, टिकू व चन्द्रशेखर उर्फ मूला वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000-25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्तगण योगेश, टिकू व चन्द्रशेखर उर्फ मूला के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर शराब तस्करी आदि संगीन अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

### अभियुक्त योगेश का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 358/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मु0अ0सं0- 507/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मु0अ0सं0- 567/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मु0अ0सं0- 644/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मु0अ0सं0- 738/17 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मु0अ0सं0- 884/17 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मु0अ0सं0- 1075/18 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मु0अ0सं0- 1293/18 धारा 272,273 भादवि व 63/72 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मु0अ0सं0- 280/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 10- मु0अ0सं0- 683/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर। (वांछित)
- 11- मु0अ0सं0- 769/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

### अभियुक्त टिकू का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 1293/18 धारा 272,273 भादवि 63/72 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मु0अ0सं0- 280/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मु0अ0सं0- 683/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर। (वांछित)
- 4- मु0अ0सं0- 770/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**अभियुक्त चन्द्रशेखर उर्फ मूला का आपराधिक इतिहास-**

- 1- मु0अ0सं0- 1293/18 धारा 272,273 भादवि 63/72 आबकारी अधिनियम थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मु0अ0सं0- 280/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मु0अ0सं0- 683/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलन्दशहर। (वांछित)
- 4- मु0अ0सं0- 771/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना सिकंद्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मु0अ0सं0-769 व 770 एवं 771/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-**

- 1- श्री दीक्षित कुमार त्यागी प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।
- 2- व0उ0नि0 श्यौपाल सिंह, उ0नि0 परवेज चौधरी, उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह ।
- 3- का0 प्रशान्त मलिक, का0 अशोक कुमार, का0 शीतल देव, का0 राहुल त्यागी, का0 निशाक, का0चालक रामतीर्था।